

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

13AA 467452

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

06-कॉम्प्लेक्स निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

मैं हरिब्रज पुजारी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ० शशभूषण आयु 58 वर्ष,
जो पुजारी गांव कॉम्प्लेक्स का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/ शपथ पत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ करती हूँ.....

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास सं दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। नहीं

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

(i) मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) नहीं जिला (जिले) नहीं राज्य नहीं

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नहीं

(iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किये गये थे नहीं

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं नहीं

Handwritten signature


किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... न.दी-
(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है..... न.दी-
(iii) पुलिस थाना (थाने)..... न.दी- जिला (जिले)..... न.दी- राज्य..... न.दी-
(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... न.दी-
(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... न.दी-
(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गए हैं..... न.दी-

स्थान : गोपेश्वर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर



सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

गोपेश्वर.....स्थान पर आज तारीख 9-1-2012.....को

सत्यापित किया।

Certified that Shri/Smt. Harish Pujan
The deponent is identified by.....
Sworn & Verified the contents of this affidavit
at Gopeshwar.....On.....9-1-2012

S. K. BAHUGUNA
Advocate & Notary
Gopeshwar (Chamoli)
Regn. No. 04/11/2003

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिया जाए।